न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :– 231 / 2019–20

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

श्री अगस्टीन संगा – विक्रेता

सुश्री सोना मुनि – क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
30.05.20	**आदेश**	

आवेदक श्री अगस्टीन संगा पिता स्व0 दाउद संगा ग्राम–कनसीली, पोस्ट–लोधमा, थाना कर्रा, जिला खूँटी ने सुश्री सोना मुनि पिता श्री बलराम उराँव ग्राम–कनसीली, थाना कर्रा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड़ में)
कनसीली	169	10	330	1.49

अंचल अधिकारी, कर्रा के पत्रांक 560 दिनांक 22.05.2020 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जांच प्रतिवेदन के अनुसार विक्रेता एवं क्रेता के द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण भूमि बिक्री की अनुशंसा नहीं की गयी है।

अतः अंचल अधिकारी, कर्रा के अनुशंसा के आलोक में वाद अस्वीकृत की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

30/05/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

30/05/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।